

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

कमांक/4/शिका./सेल-व्ही सी /184/12/2018 / 953

भोपाल, दिनांक 18.5.2018

आदेश

डॉ. विजय गांधी नैत्र चिकित्सक सह कार्यक्रम प्रबंधक (नैत्र) जिला चिकित्सालय, बालाघाट को पुलिस अधीक्षक विशेष पुलिस स्थापना जबलपुर संभाग जबलपुर द्वारा अपराध कमांक 184/12 पंजीवद्ध किया गया है।


मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग से प्राप्त अभियोजन स्वीकृति दिनांक 6.12.2017 को प्राप्त किया जाकर विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त संगठन द्वारा विशेष न्यायालय बालाघाट में दिनांक 22.1.2018 को डॉ. विजय गांधी के विरुद्ध चालान पेश किया गया है जिसका विशेष प्रकरण कमांक 2/2018 है।

डॉ. विजय गांधी नैत्र चिकित्सक सह कार्यक्रम प्रबंधक (नैत्र) जिला चिकित्सालय बालाघाट के बिरुद्ध चालान प्रस्तुत किये जाने के कारण मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम-9 के उप नियम (1) बी के अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है।

निलंबन अवधि में डॉ. विजय गांधी नैत्र चिकित्सक सह कार्यक्रम प्रबंधक (नैत्र) जिला चिकित्सालय बालाघाट का मुख्यालय क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें, जबलपुर संभाग जबलपुर निर्धारित किया जाता है।

निलंबन काल में डॉ. विजय गांधी को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित


16/5/18
(विवेक श्रिविस्तव)

अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

कमांक/4/शिका./सेल-व्ही सी./184/12/2018

भोपाल, दिनांक 18.5.2018

प्रतिलिपी- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1-पुलिस अधीक्षक, विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त कार्यालय जबलपुर, संभाग, जबलपुर।
- 2-प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल म.प्र.।
- 3-निज सहायक स्वास्थ्य आयुक्त स्थानीय कार्यालय।
- 4-कलेक्टर जिला बालाघाट म.प्र.।
- 5-उप संचालक, विज्ञप्त, गोपनीय, लीगल स्थानीय कार्यालय।
- 6-क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, जबलपुर संभाग जबलपुर की ओर जारी आदेश की प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी आदेश की प्रविष्टी संबधित डॉ. विजय गांधी नैत्र चिकित्सक सह कार्यक्रम प्रबंधक (नैत्र) जिला चिकित्सालय बालाघाट की सेवा पुस्तिका में दर्ज कराते हुए दर्ज प्रविष्टी की छायाप्रति से अधोहस्ताक्षरकर्ता को अनिवार्य रूप से अवगत कराना सुनिश्चित करें।
- 7-मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बालाघाट म0प्र0।
- 8-सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक बालाघाट म.प्र.।
- 9-जिला कोषालय जबलपुर संभाग जबलपुर।
- 10-डॉ. विजय गांधी, नैत्र चिकित्सक सह कार्यक्रम प्रबंधक (नैत्र) जिला बालाघाट म0प्र0 द्वारा क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें, जबलपुर संभाग जबलपुर।
- 11-प्रभारी एम.आई.सेल स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी आदेश विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करावें।
- 12-आदेश नस्ति।

अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश